मथुरा पुलिस

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

दिनांक - 26.11.2025 **OPERATION CONVICTION** **थाना हाईवे।**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में मथुरा पुलिस द्वारा वादी की बहन को बहला फुसलाकर भगा ले जाने एवं बलात्कार करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश भर में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा निरन्तर समीक्षा एवं मार्ग दर्शन दिया जा रहा था। मथुरा पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना हाईवे जनपद मथुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 111/2018 धारा 363/366/376 आईपीसी व 4 पोक्सो एक्ट में आज दिनांक 26.11.2025 को **माननीय न्यायालय ए0डी0जे0/पोक्सो-2** जनपद मथुरा द्वारा इस प्रकरण में विचरण करते हुए साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त दीपकपाल पुत्र विशम्भर निवासी कस्तला कासमाजद हापुड थाना पिलखुआ जनपद हापुड को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

घटना क्रम--- दिनांक 01.02.2018 को थाना हाईवे पर पंजीकृत मु0अ0सं0 111/2018 धारा 363/366/376 आईपीसी व 4 पोक्सो एक्ट में अभियुक्त दीपकपाल पुत्र विशम्भर निवासी कस्तला कासमाजद हापुड थाना पिलखुआ जनपद हापुड द्वारा वादी की बहन को बहला फुसलाकर भगा ले जाना एवं बलात्कार करने की जघन्य घटना कारित की गयी थी। इस जघन्य अपराध में भौतिक/वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किये गये एवं आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त को सजा दिलाने में मथुरा पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

श्री रामपाल सिहं
ADGC, मथुरा

निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार
(विवेचक)

पैरोकार/है0का0 सुभाष चन्द्र,
थाना हाईवे मथुरा